क्रम-संख्या–6 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 5 जनवरी, 2022

पौष 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2

संख्या 2/सी0पी0 449/84-2–2021-क0संख्या-1317087

लखनऊ, 5 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प०आ०–6

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 102 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ग)(घ)(ङ) एवं (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) से है;

(ख) "राज्य परिषद" का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;

(ग) "जिला परिषद" का तात्पर्य जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

राज्य परिषद का गठन, धारा 6 (2)

3–(1) राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें उनतीस सरकारी सदस्य और बीस गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगे:-

<u>सरकारी सदस्य:-</u>

(एक) राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे।

(दो) राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(तीन) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(चार) राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(पाँच) राज्य सरकार के कृषि विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(छः) आयुक्त , खाद्य तथा रसद विभाग।

(सात) राज्य सरकार के परिवहन विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(आठ) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

(नौ) महाप्रबंधक, दूरसंचार।

(दस) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश।

(ग्यारह) राज्य सरकार के आवास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(बारह) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।

(तेरह) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

(चौदह) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश।

(पन्द्रह) प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश।

(सोलह) राज्य सरकार के राज्यकर विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(सत्रह) प्रबंध निदेशक, राज्य मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

(अठ्ठारह) अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम।

(उन्नीस) क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय मानक संगठन, उत्तर प्रदेश।

(बीस) राज्य समन्वयक, भारतीय तेल निगम, उत्तर प्रदेश।

(इक्कीस) राज्य सरकार के नगर विकास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(बाईस) सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।

(तेईस) मण्डल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।

(चौबीस) आंचलिक प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम।

(पच्चीस) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(छब्बीस) राज्य सरकार के सूचना विभाग का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(सत्ताईस) प्रबंध निदेशक, यूपी डेवलपमेण्ट सिस्टम कारपोरेशन।

(अट्ठाईस) नगर निगम लखनऊ के दो अधिकारी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए।

(उनतीस) ऐसी संख्या में अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

<u>गैर सरकारी सदस्य:-</u>

(एक) विधान परिषद के तीन सदस्य और विधान सभा के पॉच सदस्य, अध्यक्ष और सभापति के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(दो) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के चार सदस्य प्रतिनिधि।

(तीन) कृषक/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों यथा-अवध चैंबर ऑफ कामर्स, उद्योग व्यापार मण्डल आदि के चार सदस्य प्रतिनिधि।

(चार) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य।

(2) गैर सरकारी सदस्य, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों, कृषकों/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। उक्त नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) उपयुक्तता के आधार पर, उक्त गणमान्य व्यक्तियों का एक पैनल राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पैनल में विहित संख्या से डेढ़ गुना संख्या होगी ताकि रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से आवश्यकतानुसार भरा जा सके।

(4) परिषद में उतनी संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होंगे जो दस से अधिक न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

राज्य परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र

4—कोई सदस्य, राज्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित करके स्वयं द्वारा लिखित रूप में नोटिस देकर राज्य परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति

5—(1) नियम-4 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा उसी श्रेणी के सदस्यों में से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।

(2) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक के लिये पद धारण करेगा जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति न हुई होती तो मूल सदस्य उक्त पद पर धारित रहता।

राज्य परिषद की प्रक्रिया धारा 6(3) एवं 6(4)

6—राज्य परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी:-

(क) राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्य परिषद, परिषद की उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अपने किसी सदस्य का चयन करेगी।

(ख) राज्य परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा किया जायेगा। राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 10 दिनों की अवधि की लिखित नोटिस जारी कर बुलायी जाएगी।

(ग) राज्य परिषद की प्रत्येक नोटिस में, बैठक का स्थान, बैठक का दिनांक और समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और वहां पर किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण भी दिया जाएगा।

(घ) राज्य परिषद की कोई कार्यवाही केवल मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद के गठन में कोई त्रुटि थी।

(ङ) अधिनियम के अधीन संपादित किए जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद, जैसा आवश्यक समझे, स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कृत्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(च) गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु और वापसी के लिये प्रथम श्रेणी का रेल किराया या वायुयान किराया, जो भी कम हो, प्रचलित दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते उन्हीं दरों पर संदेय होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हों। इसका भुगतान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किया जायेगा।

(छ) राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।

(ज) राज्य परिषद द्वारा पारित संकल्प सिफारिशी प्रकृति के होंगे।

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन धारा 8(2)

7—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी जो कि एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें तेरह सरकारी सदस्य तथा बारह गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगे:-

<u>सरकारी सदस्य-</u>

(एक) जिले का कलेक्टर, जो उसका अध्यक्ष होगा।

(दो) जिला पूर्ति अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट(नागरिक आपूर्ति)।

(तीन) मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(चार) जिला औद्योगिक केन्द्र का प्रभारी अधिकारी।

(पॉच)जिला कृषि अधिकारी।

(छः) जिला सूचना अधिकारी।

(सात) उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।

(आठ) विकास प्राधिकरण/आवास विभाग का जिला स्तर का अधिकारी।

(नौ) दूरसंचार विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी।

(दस) नगर निगम का नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी ।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का जिला स्तरीय अधिकारी।

(बारह) पेट्रोलियम कम्पनियों का जिला स्तरीय अधिकारी/समन्वयक।

(तेरह) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

<u>गैर सरकारी सदस्य-</u>

(एक) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(दो) कृषकों/सेवा उपक्रमों/विनिर्माताओं/फुटकर विक्रेताओं/ प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य।

(2) बारह गैर सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशन जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

जिला परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र

8—कोई सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्वयं द्वारा लिखित नोटिस देकर जिला परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति

9—(1) नियम 8 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को जिला कलेक्टर द्वारा सदस्यों की उसी श्रेणी में से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।

(2) नियम 8 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति केवल उसी अवधि तक के लिये पद धारण करेगा जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति न हुई होती तो मूल सदस्य उक्त पद पर धारित रहता।

जिला परिषद की प्रक्रिया धारा 8 (3) एवं (4)

10. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी अर्थात्:-

(क) जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी और जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में जिला परिषद अपनी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये किसी सदस्य का चयन करेगी।

(ख) जिला परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, जिला आयोग द्वारा किया जायेगा। जिला परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से प्रत्येक सदस्य को अन्यून दस दिन की लिखित नोटिस देकर आहूत की जायेगी।

(ग) जिला परिषद की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।

(घ) जिला परिषद के बैठक की प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान, दिनॉक और समय विनिर्दिष्ट होगा और बैठक में किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण अन्तर्विष्ट होगा।

(ङ) जिला परिषद की कोई कार्यवाही, परिषद के गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि विद्यमान होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(च) जिला परिषद, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से ऐसा कार्य दल गठित कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक कार्य दल ऐसे कृत्यों को करेगा जो उसे जिला परिषद द्वारा समनुदेशित किए जायं। ऐसे कार्यदलों के निष्कर्ष जिला परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष रखे जायेंगे।

(छ) जिला परिषद द्वारा पारित संकल्प, सिफारिश की प्रकृति का होगा।

राज्य परिषद एवं जिला परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

11—राज्य परिषद एवं जिला परिषद के गैर सरकारी सदस्य, अपने नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

राज्य परिषद एवं जिला परिषद की बैठक

12—राज्य परिषद की बैठक साधारणतया राजधानी क्षेत्र लखनऊ एवं जिला परिषद की बैठक सम्बन्धित जिले में आयोजित की जायेगी।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।